(11)

संख्या सा-3-1443/दस--930/83

प्रेषक,

श्री जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊ, दिनांक 15 दिसम्बर, 1983

विषय :--पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

शासन की सुस्पष्ट नीति है कि 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के उपरांत सेवावृद्धि या पुर्नानियुक्ति न की जाये। परन्तु कभी-कभी जनहित में अपरिहार्य होने की दशा में अनुबन्ध के आधार पर अथवा अन्यथा पुर्नानियुक्ति कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त कर, विभाग करते हैं। सेवानिवृत्ति के उपरांत सिविल सरकारी सेवकों के पुनर्योजन एवं उक्त अवधि में वेतन निर्धारण का प्राविधान सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 520 में निहित है। सामान्यतया पुनर्योजन की अवधि में सरकारी सेवक को वह नियत वेतन अनुमन्य होता है जो उसके समस्त नैवृत्तिक लाभों को सम्मिलित करते हुए उसके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक न हो। समस्त नैवृत्तिक लाभों से तात्पर्य शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण के) तथा डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के पेंशनरी समतुल्य धनराशि के योग से है। डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का पेंशनरी समतुल्य उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स में निर्धारित राशिकृत मूल्य की तालिका के आधार पर (सुगम संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है) आगणित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु उस आयु पर राशि मूल्य की वह दर ली जायेगी जो कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तिथि की आयु के पूर्ण वर्षों के लिये हो। उदाहरण के लिये यदि एक अधिकारी 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त हुआ और उसे रु0 30,000 ग्रेच्युटी प्राप्त हुई तो ग्रेच्युटी का पेंशनरी समतुल्य होगा $30,000 \div (10.78 \times 12) = 30,000 \div 129.36 = 232$ रुपये। इसी प्रकार उक्त आयु के आधार पर रु0 29,000 अथवा रु0 31,000 ग्रेच्युटी का पेंशनरी समतुल्य क्रमशः रु0 224 तथा रु0 240 होगा।

2--पुनर्योजन की अवधि में वेतन निर्धारण का उपयुक्त स्पष्ट सिद्धांत होने के बावजूद शासन के अनेकों स्रोतों से यह जानकारी की जाती रही है कि पुनर्योजन की अवधि में वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा तथा उक्त अवधि में महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते किस प्रकार दिये जायेंगे।

3--उपरोक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्योजित सरकारी सेवक की स्थिति एक अस्थाई सरकारी सवक की होती है। अतएव सामान्यतया उसे वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते आदि उसी प्रकार उपलब्ध होंगे जो उसके समकक्ष अन्य अस्थायी सेवकों को अनुमन्य होते हैं। अतः पुनर्योजन की अवधि में, अन्यथा प्राविधान न होने की दशा में सरकारी सेवक को अनुमन्य किये गये वेतन की धनराशि तथा सकल पेंशन (अर्थात् शुद्ध पेंशन, बिना राशिकरण के तथा डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की पेंशन समतुल्य धनराशि के बराबर) की धनराशि के योग पर अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते दिये जायेंगे। जिस पुनर्योजित सरकारी सेवक को ऐसी अन्य सुविधा उपलब्ध हो जिसके लिये कोई कटौती उसके वेतन के आधार पर की जानी हो, यथा मकान किराया, तो उसका आगणन उसे अनुमन्य वेतन और सकल पेंशन के योग की धनराशि के आधार पर किया जायेगा।

4--पुनर्योजन की अन्य मानक शर्तें निम्न प्रकार होंगी:--

(1) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिये नहीं गिनी जायेगी और पद का भार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।

(2) पुनर्योजित सरकारी सेवक को अस्थाई कर्मचारी की भांति वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 2, भाग 2-4, के सहायक नियम 157-ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(3) पुनर्योजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उसके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम 16-ए में प्राविधान है।

(4) पुनर्योजित सरकारी सेवक की पुनर्नियुक्ति पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने के पहले समय बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है व जिस पद पर उन्हें पुनर्योजित किया गया है भी निर्धारित अवधि के पूर्व कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इस शर्त के अधीन रहते हुए उन पर अन्य सेवा शर्तें वही लागू होंगी जो अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(5) पुनर्योजन की अवधि में अस्थाई/तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होगी। किन्तु ऐसे पुनर्योजन के मामलों में जिनमें केवल समेकित वेतन (consolidated pay) ही अनुमन्य किया जाता है, जिसके साथ न महंगाई भत्ता दिया जाता है और न वेतन में महंगाई भत्ते का अंश सम्मिलित होता है, तो पेंशन पर अनुमन्य राहत मिलती रहेगी।

(6) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को राज्य सरकार के अन्तर्गत पद पर पुनर्नियुक्ति की दशा में उन्हें राज्य शासन द्वारा स्वीकृत दरों से ही महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा।

5—सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि पुनर्योजन संबंधी आदेशों में उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों का समावेश अवश्य कर लिया करेंगे।

6—इस विषय में पूर्व में जारी आदेश उक्त सीमा तक संशोधित/अतिक्रमित समझे जायेंगे।

भवदीय,
जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव।

संख्या सा–3–1443(1)/दस—930/83, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रथम एवं तृतीय, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, द्वितीय, लखनऊ।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
बसन्त लाल शाह,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा0–3–1443(2)/दस—930-83, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/निगम/कम्पनी।

आज्ञा से,
त्रिलोक सिंह भण्डारी,
अनु सचिव।

ANNEXURE

Commutation Table effective from 1st March, 1971 prescribed by Government of India *vide* Ministry of Finance O. M. no. 2 (1)—E.V.-71, dated March 6, 1971 and circulated by Government of U. P. endorsement no. G-2-687/X—5-57, dated March 29, 1971.

Commutation values for a pension of Re. 1 per annum

Age next birthday	Commutation value expressed as number of years' purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of years' purchase
	Rs. P.		Rs. P.
17	19.28	51	12.95
18	19.20	52	12.66
19	19.11	53	12.35
20	19.01	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11·10
24	18.59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18.34	60	10.13
27	18.21	61	9.81
28	18.07	62	9.48
29	17.93	63	9.15
30	17.78	64	8.82
31	17.62	65	8.50
32	17.46	66	8.17
33	17.29	67	7.85
34	17.11	68	7.53
35	16.92	69	7.22
36	16.72	70	6.91
37	16.52	71	6.60
38	16.31	72	6.30
39	16.09	73	6.01
40	15.87	74	5.72
41	15.64	75	5.44
42	15.40	76	5.17
43	15.15	77	4.90
44	14.90	78	4.65
45	14.64	79	4.40
46	14.37	80	4.17
47	14.10	81	3.94
48	13.82	82	3.72
49	13.54	83	3.52
50	13.25	84	3.32
		85	3.13

पी० एस० यू० पी० ए० पी० 44 सा० (भाषा)-2-1-84-(3382)-1984-10,000 (मेक०)।